"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2015—श्रावण 9, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 1-02/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संजय शुक्ला भा.व.से. (1987), आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, रायपुर तथा सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को केवल आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, रायपुर के प्रभार से मुक्त करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2015

क्रमांक ई–1–3/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. आलोक शुक्ला, (भा.प्र.से.–1986), प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को स्थानांतरित करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री विकासशील, (भाप्रसे–1994), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानांतरित करते हुए सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

3. श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, (भाप्रसे–2000), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, को स्थानांतरित करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, पंचायत विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री अनिल कुमार टुटेजा, (भाप्रसे–2004), संचालक, पंचायत को स्थानांतरित करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 1–08/2015/1–15.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को वन संरक्षक से मुख्य वन संरक्षक वेतनमान बैण्ड PB-4 : 37400-67000 एवं GP : 10000 में पदोन्नत करता है :—

1. श्री अनुप कुमार विश्वास, भा.व.से. (CG : 1994)
2. श्री ओम प्रकाश यादव, भा.व.से. (CG : 1995)
3. श्री ए. एच. कपासी, भा.व.से. (CG : 1995)
4. श्री ए. के. तिवारी, भा.व.से. (CG : 1996)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2015

क्रमांक/1117/1384/2014/एक–14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आर. के. भेड़िया, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 15–05–2013 से दिनांक 11–06–2013 तक कुल 28 दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री आर. के. भेड़िया को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भेड़िया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2015

क्रमांक एफ 7-13/2015/एक/15.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. एस. बजाज, भा.व.से., आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छ.ग., रायपुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 28-05-2015 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 25-05-2015 से दिनांक 01-06-2015 तक कुल 08 दिवस का संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बजाज, आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छ.ग., रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बजाज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बजाज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्रमांक/1277 आर-721/2015/एक-14/भापुसे.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आर. एस. नायक, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, सरगुजा को दिनांक 06-07-2015 से 15-07-2015 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 05-07-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नायक आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, सरगुजा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री नायक को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नायक, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री नायक की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, सरगुजा के पद का प्रभार श्री प्रखर पांडेय, रापुसे, पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2015

क्रमांक/1279/529/2015/एक-14/भापुसे.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, सुकमा को दिनांक 11-04-2015 एवं 12-04-2015 के विज्ञप्ति शासकीय अवकाश के लाभ सहित दिनांक 17-03-2015 से 10-04-2015 तक कुल 25 दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री सिंह को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2015

क्रमांक/1345/527/2015/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जितेन्द्र शुक्ला, परि. भापुसे, बिलासपुर को दिनांक 03-03-2015 एवं 25-03-2015 तक कुल 23 दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री शुक्ला को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-06/2014/एक/15.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. सी. पाण्डेय, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 13-07-2015 से 17-07-2015 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डेय, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पाण्डेय को अवकाश वेतन भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-10/2015/एक/15.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह, भा.व.से. सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर को दिनांक 16-02-2015 से 28-02-2015 तक कुल 13 दिन का लघुकृत (चिकित्सा) अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-32/2015/एक/15.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विश्वेश कुमार, भा.व.से. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा को पुत्री प्राप्त होने के कारण दिनांक 30-06-2015 से दिनांक 14-07-2015 तक कुल 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जून 2015

क्रमांक/एफ 17-10/2015/25-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)" योजनान्तर्गत भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र क्रमांक 16015/1/2010 दिनांक 28-01-2015 द्वारा जारी मार्गदर्शिका की कंडिका-12.3 के अधीन निम्नानुसार राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति/निगरानी समिति का गठन करता है :—

1.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ महिला एवं बाल विकास विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग/योजना विभाग.	सदस्य
3.	संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4.	संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) निमोरा, रायपुर	सदस्य
5.	राज्य अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	अनुसूचित जाति कल्याण की दिशा में कार्य करने वाले अनुभवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता (कम से कम दो) (नामांकन पृथक से किया जावेगा).	सदस्य
7.	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति रायपुर	सदस्य
8.	भारत सरकार, ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग	सदस्य/सचिव

2. उक्त गठित समिति के निम्नानुसार कार्य होंगे :—

1. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश प्रसारित करना. संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य/जिला/ब्लाक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर योजना को लागू करना एवं उसकी निगरानी करना.
2. राज्य की कार्य योजना जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किये जा रहे हैं उनकी पहचान करना.
3. आधारभूत सर्वेक्षण के लिए राज्य स्तर पर दिशा-निर्देश जारी करना.
4. विभिन्न स्तरों पर अर्थात् जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों की जिम्मेदारी को परिभाषित करना.
5. जिला स्तरीय योजना का अनुमोदन तथा यदि आवश्यक हो तो कार्ययोजना में परिवर्तन का सुझाव देना.
6. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की निगरानी.

इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित की जावेगी.

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2015

क्रमांक/एफ 19-18/2015/25-2.—वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित वक्फ अधिनियम 2013) की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में, अधिनियम की निम्नांकित धाराओं के तहत समक्ष में अंकित व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त करता है :—

1.	वक्फ अधिनियम 14 (1) (ख) (ii) एक पूर्व विधानमंडल के मुस्लिम सदस्य.	श्री मोहम्मद अकबर, पूर्व विधायक
2.	वक्फ अधिनियम 14 (1) (ख) (iii) राज्य के विधिक परिषद के मुस्लिम सदस्य.	श्री फैसल रिजवी, सदस्य राज्य विधिक परिषद्

3.	वक्फ अधिनियम 14 (1) (ग) के अंतर्गत मुस्लिमों से नगर योजना या कारबार प्रबंधन, समाज सेवा, वित्त या राजस्व, कृषि और विकास कार्यकलापों में वृत्तिक अनुभव वाला व्यक्ति.	श्री मो. सलीम असरफी गफूर मंजिल, मौदहापारा, रायपुर
4.	वक्फ अधिनियम 14 (1) (घ) के अंतर्गत मुस्लिमों से एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा शिया सुन्नी इस्लाम संबंधी धर्मविधा के मान्यता प्राप्त विद्वान.	श्री काजी मुफ्ती मो. शहाबुद्दीन, जामिया मदीनतुल उलूम शिक्षण संस्थान, दुर्ग.
5.	वक्फ अधिनियम 14 (1) (ङ) के अंतर्गत मुस्लिमों में से एक व्यक्ति जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो.	श्री युनुस अली (आई.एफ.एस.) वर्तमान में एम.डी., छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर.

2. वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 15 के प्रावधानानुसार सदस्यगण पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा यह अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई 2015 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हरावण्ड प.ह.नं. 02	0.92	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग जगदलपुर, जिला बस्तर.	कुम्हरावण्ड उद्वहन सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्रमांक 16/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-उज्जलपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.560 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	97	1.560
योग	1	1.560

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- केलो परियोजना के तहत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 जुलाई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बहिरकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.820 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
214/2	0.495
219/1	0.004
335/3	0.432
213/1	0.040
235	0.080
302/1	0.256
308/1	0.064
153/14	0.096
505	0.176
153/25	0.024
492/3	0.040
511	0.040
624	0.048
622	0.004
634/2	0.008
215/2	0.344
332	0.016
338	0.368
225	0.080
234/2	0.080
303/1	0.120
307/2	0.008
153/28	0.132
153/3	0.132
153/31	0.040
509	0.064
595	0.072
591/1	0.048
632	0.056
216	0.138
221	0.488
215/1	0.048
224	0.128
236	0.080
303/4	0.101
303/2	0.053
153/19क	0.036

(1)	(2)
153/2	0.084
492/1	0.101
629/2	0.024
594/2	0.080
591/2	0.048
630	0.048
220	0.028
334/2	0.160
215/3	0.060
233	0.120
234/1	0.020
308/2	0.060
153/18	0.316
153/1ख	0.024
153/23	0.032
492/2	0.012
510	0.040
593/2	0.080
608	0.028
634/4	0.016
योग 57	5.820

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राजा तालाब जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेश क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.